4/11/20 पत्रावली प्रस्तुत। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त शामिल पत्रावली किए जा चुके हैं। प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने हेतु न्यायालय को निम्नलिखित तीन बिन्दुओं का अवधारण करना है-

(i) प्रथमदृष्टया प्रकरण
(ii) सुविधा का संतुलन
(iii) अपूर्णनीय क्षति

(i) प्रथमदृष्टया प्रकरण :-

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र मे अपना ~~[illegible]~~ उल्लिखित किया है एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.26 14:40:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत भूमि को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध रहन, बैय करने एवं खुर्द बुर्द करने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। यद्यपि प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पत्ति है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में प्रार्थी - अप्रार्थी संख्या 1 के पौत्र-दादा होने के संबंध को स्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित खातेदारी भूमि है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के जीवन काल में उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक एवं हिस्सा नहीं बनता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र हिन्दु लॉ के तहत विधि द्वारा वर्जित है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कथन के पक्ष में प्रश्नगत भूमि से संबंद्ध उपनिवेशन विभाग की पर्चा खतौनी की प्रतिलिपि प्रस्तुत की एवं न्यायालय के समक्ष कथन किया कि प्रश्नगत भूमि का रकबा अप्रार्थी संख्या 1 को उसकी माता एवं बहनों के हक त्याग से प्राप्त हुआ है एवं हिन्दु विधि के तहत ऐसी सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती है।

वकील प्रार्थी ने उक्त का विरोध करते हुए न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उक्त पर्चा खतौनी की स्थिति प्रार्थी के परदादा कवरीराम की मृत्यु पश्चात् हुए विरासतन इन्तकाल के बाद की स्थिति है। चूंकि भूमि प्रार्थी के परदादा से विरासतन उनके वारिसों को प्राप्त हुई, अतः प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थी का जन्म से ही प्रार्थी का हक एवं अधिकार भूमि में निहित है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने कथन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.26 14:40:11 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	

पक्ष में माननीय राजस्व मंडल का न्यायिक दृष्टान्त 2017 (2) RRT 1362 प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि 'पिता के जीवन काल में प्रार्थी के पक्ष में अधिकार सृजित नहीं होते।' प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नज़ीर में प्रार्थी के दादा व पिता के जीवित रहते दादा के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि में अधिकारों की घोषणा चाही गई है एवं माननीय न्यायालय का मत है कि जब तक प्रार्थी का पिता जीवित है तब तक वह अपने दादा की सम्पति में से हिस्सा नहीं मांग सकता। चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है, अतः मेरे विनम्र मतमेंयह न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता।

निष्कर्षतः अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का दादा है एवं पर्चा खतौनी के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या भूमि प्रार्थी के परदादा से उसके वारिसों को प्राप्त हुई प्रतीत होती है। स्वअर्जित अथवा पैतृक होने के संबंध में अन्तिम निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य लिए जाने के पश्चात होना है। अतः प्रथमदृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

(ii) सुविधा का संतुलन:-

यदि अस्थायी निषेधाज्ञा का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को केवल यह असुविधा होगी कि वह दौराने वाद प्रश्नगत भूमि को रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा; परन्तु यदि हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है एवं वाद का अन्तिम निस्तारण प्रार्थी के पक्ष में चला जाता है; तो दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रश्नगत भूमि रहन, बैय अथवा अन्यथा हस्तान्तरित किए जाने की स्थिति में प्रार्थी को भारी असुविधा होगी एवं भविष्य में लिटिगेशन बढ़ने की सम्भावना रहेगी। फलतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.26 14:40:11 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

के पक्ष में ही है।

(iii) अपूर्णनीय क्षति -

जैसा कि बिन्दु संख्या (ii) के विश्लेषण से भी स्पष्ट है कि यदि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त भूमि बेचान कर दी जाती है (जैसा कि पूर्व में किया गया भी है) तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं मापा जा सकता। अतः यह तीसरा बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में ही है।

निष्कर्षतः अस्थायी निषेधाज्ञा के निर्धारण से संबंधित तीनों बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक - 3 यूडीएम (ए) तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 64 पत्थर सं- 259/412 की 4.9600 हैक्टर कमाण्ड मय खाला को वाद के निस्तारण तक रहन, बैय व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखे।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तकमील तरतीब से दाखिल दफ्तर हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2020.12.26 14:40:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner